

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / माध्य / राशिकप्र / 31590 / 2014–2015

दिनांक : 24.5.2017

समस्त उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा / प्रारम्भिक शिक्षा)
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा / प्रारम्भिक शिक्षा)

विषय : राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 के लिए अध्यापकों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा हेतु देय वित्तीय सहायता बाबत।


भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, नई दिल्ली की योजनान्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत शिक्षा विभाग के अधीनस्थ विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के बच्चों को वित्तीय सहायता दिए जाने बाबत संलग्न प्रारूप मे प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। प्रार्थना पत्र दिनांक 21.07.2017 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के पदनाम से आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाने चाहिए, ताकि जांचोपरांत प्रार्थना पत्र राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, भारत सरकार, नई दिल्ली को निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व भेजे जा सकें। 21.07.2017 के पश्चात् प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जा सकेगा।

1. यह योजना विद्यालयों मे कार्यरत अध्यापकों के बच्चों के लिए ही लागू होगी।
2. विद्यालयों मे कार्यरत शिक्षकों के बच्चे, जो व्यावसायिक शिक्षा यथा इंजीनियरिंग, मेडिसिन एवं मैनेजमेंट, पाठ्यक्रम डिग्री/डिप्लोमा में अध्ययनरत को ही वित्तीय सहायता देय होगी। निर्धारित पाठ्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है:-
(अ) 04 वर्षीय अवधि का (08 सेमेस्टर) इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम निम्नांकित शाखाओं में : सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रोनिक्स एवं टैलीकम्प्युनिकेशन, कम्प्यूटर विज्ञान, ऑटोमोबाईल एवं कैमिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, टैक्सटाईल्स, माइनिंग, रबर टैक्नोलॉजी, नेवल आर्किटेक्चर, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, फार्मसी, प्रिन्टिंग, कैमिकल टैक्नोलॉजी, मेटलर्जीकल इंजीनियरिंग, इन्स्टूमेन्टेशन एवं कन्ट्रोल तथा एयरोनोटिकल इंजीनियरिंग इत्यादि।
(आ) उपर्युक्त पाठ्यक्रमों मे तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स (तीन वर्ष से कम नहीं)
(इ) मेडिकल कोर्स – ऐलोपैथी, होमियोपैथी एवं आयुर्वेदिक, पशु चिकित्सा विज्ञान (वैद्यनरी साईन्स)
(ई) डिप्लोमा पाठ्यक्रम-बी-फार्मा (अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए)।
(उ) स्नातक पाठ्यक्रम के पश्चात् मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए।
3. प्रार्थना-पत्र की सभी प्रविष्टियां स्वयं अध्यापक द्वारा की जाकर हस्ताक्षर किये जाने हैं तथा संरक्षण द्वारा अग्रेषित किया जाना है।
4. भुगतान किया गया वास्तविक शुल्क प्रार्थना-पत्र के कॉलम संख्या 13 मे स्पष्ट रूप से अंकित करें। प्रार्थना-पत्र के साथ शुल्क की मूल रसीदें संलग्न करें। फोटोस्टेट प्रतियां स्वीकार्य नहीं होंगी। सम्पूर्ण भुगतान की रसीद यदि प्रस्तुत की जाती है तो उसका मदवार विवरण प्रस्तुत करने पर ही प्रार्थना-पत्र विचारणीय होगा। यदि भुगतान की रसीद क्षेत्रीय भाषा मे हो तो मूल रसीद के साथ उसके अंग्रेजी/हिन्दी अनुवाद की प्रति राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करवा कर संलग्न करें।
5. सत्र 2014–15 मे छात्र जिस महाविद्यालय मे अध्ययनरत है, उस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य का प्रमाण-पत्र संलग्न प्रारूप मे नथी करें। यदि भुगतान की रसीद क्षेत्रीय भाषा मे हो तो मूल रसीद के साथ उसके अंग्रेजी/हिन्दी अनुवाद की प्रति राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करवा कर संलग्न करें।

6. सहायता राशि मात्र द्यूषण, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला (लेबोरेट्री) शुल्क के भुगतान पर ही देय है। अतः अन्य मदों पर किए गए भुगतान एवं एक मुश्त दर्शायी गई राशि पर सहायता देय नहीं होगी। यदि एकमुश्त रसीद हो तो संस्था प्रधान से राशि का ब्रेकअप प्रस्तुत करवाना होगा।
7. सहायता राशि एक शैक्षणिक सत्र तक ही सीमित है। उक्त वित्तीय सहायता हेतु प्रार्थना—पत्र विद्यार्थी के शैक्षणिक सत्र 2014–15 में अध्ययन के लिए ही स्वीकार्य होंगे। वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि 15000.00 रुपये होगी।
8. अनुत्तीर्ण हो जाने वाले विद्यार्थी सहायता हेतु पात्र नहीं होंगे। इन्टर्नशिप अवधि के दौरान कोई सहायता देय नहीं होगी।
9. यह सहायता राशि केवल उत्तीर्ण छात्रों को ही देय होगी। ऐसे मामलों में जहां कि परिणाम घोषित नहीं हुआ है, सहायता देय नहीं है।
10. छात्र/छात्रा की अंकतालिका की फोटोस्टेट प्रति संलग्न करें।
11. व्यावसायिक शिक्षा में सहायता हेतु परिवार के एक ही बच्चे के लिए प्रार्थना—पत्र स्वीकार्य होगा।
12. सहायता राशि पूर्व के वर्षों में जिन्हें स्वीकृत नहीं हुई है, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
13. विदेश में अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह सहायता देय नहीं होगी।
14. भारत सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के आधार पुर पात्रता की जांच उपरान्त राशि की स्वीकृति जारी की जाती है। भारत सरकार से सहायता राशि प्राप्त होने पर ही देय होगी। अतः अनावश्यक पत्र—व्यवहार नहीं किया जावे।
15. अपूर्ण प्रार्थना पत्र, शुल्क की मूल रसीदें नहीं होने एवं अन्तिम तिथि पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्र—पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। ऐसी स्थिति में निरस्त हुए प्रार्थना पत्रों के बारे में कोई सूचना भी नहीं दी जावेगी।
16. प्रार्थना पत्र यथा संभव डाक द्वारा ही प्रेषित किए जावें। केवल विशेष परिस्थितियों में ही दस्ती (by hand) स्वीकार्य होंगे।
17. आवेदक अध्यापक द्वारा संलग्न प्रपत्र में व्यक्तिगत विवरण अवश्य प्रस्तुत किया जावे।
18. आवेदन पत्र उप निदेशक (प्रशासन), राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के नाम से ही प्रेषित करें।

उक्त विषयक सूचना अपने अधीनस्थ कार्यालयों/विद्यालयों में प्रसारित एवं प्रचारित करावें ताकि अधिकाधिक अध्यापकगण इसका लाभ उठा सकें।

संलग्न : निर्धारित प्रार्थना पत्र की प्रति।

भवदीय

 उप निदेशक (प्रशासन)
 राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान,
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

Annexure - I

Application for financial assistance from National Foundation or Teacher's Welfare for Professional Education of Children of School Teachers

1. Full name and permanent address of the applicant (in Block Letters) :
2. Date of birth and age of the applicant : _____
3. Whether the teacher is in service : _____
4. If answer to (3) above is 'Yes' please give the following particulars in respect of the post held at present:
 - (d) Designation : _____
 - (e) Name of the Institution where employed at present : _____
 - (f) Whether the institution is a Govt. Institution /Govt. Aided / Private Instuition : _____
5. Name of the student (In Block Letters) : _____
6. Date of birth and age of the student : _____
7. Relationship with the Student : Father / Mother
8. (a) Nature of professional course : Medical / Engineering / Management
(b) Name & duration of course (with semesters) : _____
9. Name and address of the college where the student is studying / has studied during Year 2014-15 : _____
10. Date of admission (for 1st year) : _____
11. Year in which studying during Year 2014-15 : 1st / 2nd / 3rd / 4th
12. (i) Whether any scholarship is received from the Institution. If so, specify the amount : _____
(ii) Whether any assistance has already been received from N.F.T.W., for this purpose. If yes, give particulars : _____
(iii) Aadhar No. of applicant/Teacher : _____
Actual fees paid for the professional : _____
13. _____

- course (Attach original cash receipts)
- 14 Amount of financial assistance claimed :
- 15 Whether certificate from the college where the student is studying is attached
- 16 Certificate I (to be furnished by the applicant)

I certify that to the best of my knowledge and belief, the particulars given above are correct. I fully understand that in event of this being proved otherwise, I shall be liable to such action as the National Foundation or Teacher's Welfare may deem fit to take in the matter.

Place:

Date:

Signature of the Teacher

17. Certificate II (to be furnished by the Head of the Institution where the teacher is serving)

Certified that the particulars furnished by the applicant are correct.

Place:

Date:

Signature of Head of the Institutions

(with official seal)

(In Hindi / English)

-
18. Recommendations of the State Working Committee, i.e. amount of financial assistance recommended for the year Year 2014-15

Place:

Date:

Signature of Secretary Treasurer

(with official seal)

(In Hindi / English)

Name of the Institution:

Ref. No..... Date.....

STUDY CERTIFICATE

This is to certify that Sh./Kum.....son/daughter of Smt./Shri..... working as teacher in

is a bonafide student of this Institution and studying in/studied inyear (1st/2nd/3rd/4th)/ semester (1st/2nd/3rd/4th/5th/6th/7th/8th) during the year Year 2014-15

The student is studying /studied in this college as per details given below:-

Name of the course	Duration of course (with semesters)	Date of admission (for 1 st year)	Year of course	Whether passed or failed	Remarks

The student has received/not received scholarship from this Institution during the year Year 2014-15 of Rs.

(Signature of the Principal)
With official seal

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान

अध्यापक का विवरण पत्र

1.	अध्यापक का नाम एवं स्थाई पता	:	
2.	अध्यापक का मोबाइल नम्बर एवं टेलीफोन नम्बर	:	
3.	अध्यापक के परिवार का विवरण (जन्म दिनांक सहित)	:	
4.	यदि कोई बच्चा विकलांग है तो उसका विवरण मय प्रमाण	:	
5.	अध्यापक का बच्चा जिस संस्थान मे अध्ययनरत है, उस संस्था का नाम (राजकीय/अराजकीय)	:	
6.	क्या अध्यापक अथवा उसकी पत्नी किसी गंभीर बिमारी से ग्रसित है ? यदि हां तो साक्ष्य सहित सूचना प्रस्तुत करें।	:	
7.	क्या इस स्कूल के तहत पूर्ववर्ती वर्षों में कोई सहायता प्राप्त की है ? यदि हां तो वर्ष इंगित करें	:	
8.	अध्यापक के बैंक खाते का विवरण एवं पास बुक की फोटो प्रति।	:	
9.	आधार कार्ड संख्या एवं मय फोटो प्रति	:	

हस्ताक्षर अध्यापक
मय पद एवं पदस्थापन स्थान